

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फेक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/1067 दिनांक :- 25.04.2018.

आदेश संख्या: 39/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण / पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क.सं.	लिक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	9731	दीपक सिंह शेखावत	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
2	8476	गोपाल कृष्ण शर्मा	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
3	9283	मनीष गौरा	कोषालय सचिवालय, जयपुर	राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
4	5670	शिव राम सिंह चौधरी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के स्थान पर
5	2435	मनोहर सिंह	निदेशक, संपदा विभाग, जयपुर	राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर	रिक्त पद पर
6	9800	धर्मेन्द्र गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा	नगर विकास न्यास, कोटा	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति/सहमति दिनांक 25.04.2018 के क्रम में जारी किये जाते हैं ।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक :- 25.04.2018.

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/1067

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें ।
- संबंधित कोषाधिकारी
- श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये ।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II/III) कार्यालय हाजा ।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
- उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- रक्षित / निजी पत्रावली ।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)